फा.सं.15(6)2020/एफएलआरएस/एफएसएसएआई
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(विनियामक अनुपालन प्रभाग)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

दिनांक 31 , मार्च, 2020

आदेश

विषय: लॉकडाउन की अवधि के दौरान लाइसेंस/पंजीकरण के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन के आधार पर अपने खाद्य कारोबार को अस्थायी रुप से संचालित करने के लिए खाद्य कारोबारियों को अनुमति प्रदान करने के संबंध धारा 16(5) के अंतर्गत निर्देश देने के बारे में।

कोविड-19 महामारी के कारण देश में लॉकडाउन के दौरान बिना किसी बाधा के खाद्य सेवाओं / खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) द्वारा सृजित 17 अंकों के आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) से युक्त रसीद के आधार पर एफएसएस अधिनियम के तहत विनिर्माताओं से भिन्न खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) को अपने खाद्य कारोबारों को अस्थायी रूप से संचालित करने की अनुमति देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि वे एफएसएस अधिनियम, 2006 और नियम और विनियम का पालन करेंगे। [URL- https://foodlicensinq.fssai.qov.in/index.aspxl

2. एफबीओ ने एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस / पंजीकरण के लिए आवेदन किया हो/करना होगा। इसके लिए उन्हें एफएलआरएस पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन की एक वैध रसीद प्राप्त करेगा जिस पर 17 अंकों से युक्त आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) होगी। इसके अलावा, एफबीओ के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह संलग्न प्रपत्र एम के अनुसार आवेदन की एक स्कैन की हुई कॉपी संलग्न करते हुए अपने खाद्य कारोबार का संचालन करने के बारे में संबंधित लाइसेंसिंग / पंजीकरण प्राधिकारी / खाद्य सुरक्षा आयुक्त को ई-मेल द्वारा अवश्य सूचित करे। इस पर प्रोप्राइटर, निदेशक, भागीदार या आवेदक के एक वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की सूची https•d/fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php. पर उपलब्ध है।

3. ऐसे एफबीओ आवेदन के संदर्भ में प्राधिकारियों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देंगे और अधिकारियों द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। इसके अलावा, लाइसेंसिंग / पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा यदि उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाता है तो लॉकडाउन के चलते हुए भी एफबीओ अपने खाद्य व्यापार से संबंधित सभी गतिविधियों को तुरंत बंद कर देगा।

4. उक्त अनुमति केवल उन आवेदकों के लिए है, जिन्हें लॉकडाउन में काम करने की अनुमति प्रदान की गई है। एफबीओ लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर उक्त परिसर में खाद्य पदार्थों से संबंधित अपने कार्यों को बंद कर देगा, जब तक कि उसने मान्य एफएसएसएआई लाइसेंस / पंजीकरण प्राप्त न किया हो।

5. राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के विशिष्ट लॉकडाउन के मामले में, यह अनुमति केवल संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र तक सीमित होगी। राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारें (खाद्य सुरक्षा आयुक्त) इस अनुमति को लॉकडाउन के दौरान अनिवार्यता पर निर्भर करते हुए कुछ प्रकार के व्यवसायों / खाद्य श्रेणियों तक सीमित कर सकती हैं। यह एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुमति विनिर्माता स्वरुप के कारोबारियों (केओबी) से संबंधित एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले एफबीओ के लिए नहीं है। अन्य

Scanned with CamScanner

शब्दों में विनिर्माताओं से भिन्न स्वरुप के कारोबार के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले एफबीओ को लॉकडाउन की अवधि के दौरान लाइसेंस/पंजीकरण के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत करने के तुरन्त पश्चात अपने खाद्य कारोबार को अस्थायी रुप से संचालित करने के लिए अनुमति दी गई है।

6. खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को सलाह दी जाती है कि वे लॉकडाउन की अवधि के दौरान लोक हित में कार्य कर रहे खाद्य कारोबारियों को सुविधा प्रदान करने की इस योजना का पर्यवेक्षण करें। एक बार, लॉकडाउन समाप्त हो जाने पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एफएलआरएस पर सृजित 17 अंकों के आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) के आधार पर प्रचालन की अनुमति (बिना एफएसएसएआई लाइसेंस / पंजीकरण) का फायदा उठाने वाले एफबीओ लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपने कार्यों को बंद कर देगा, जब तक कि उसने मान्य एफएसएसएआई लाइसेंस / पंजीकरण प्राप्त न किया हो। खाद्य सुरक्षा आयुक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई हो और लाइसेंस / पंजीकरण के आवेदन शीघ्र मंजूर किए जाएं। आवश्यक होने पर, अनुमोदन भौतिक या ई-निरीक्षण (वीडियो / छवियों के माध्यम से) से निरीक्षण की शर्त के साथ प्रदान किए जा सकते हैं और एफबीओ द्वारा निरीक्षण से संबंधित टिप्पणियों का पालन किया जाएगा।

7. एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 16 (5) के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डा. शोभित जैन)
कार्यकारी निदेशक (अनुपालन कार्यनीति)
ई-मेल : ed-office@fssai.gov.in

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
2. निदेशक, सभी क्षेत्रीय कार्यालय, एफएसएसएआई
3. सीआईटीओ, एफएसएसएआई - आवश्यक कार्रवाई के लिए

सूचना के लिए –

1. अध्यक्ष, एफएसएसएआई के निजी सचिव
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई के निजी सचिव
3. प्रमुख (आरसीडी)

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – एम

सेवा में

____

____

____

राजय :

____

विषय: एफएसएसएआई लाइसेंस / पंजीकरण के लिए आवेदन (17 अंकीय) आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) से युक्त आवेदन की वैध रसीद रखने के द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान खाद्य कारोबार की गतिविधियों को शुरू करने के बारे में सूचना और घोषणा।

महोदया/महोदय,

क) संस्थान का नाम :
ख) संस्थान का प्रकार :
ग) खाद्य कारोबार के प्रचालन कार्यों के परिसर का पता
घ) उत्तरदायी व्यक्ति का विवरण
  i)नाम:
  ii) मोबाइल
  iii)वैकल्पिक मोबाइल /दूरभाष
  iv) ई-मेल आईडी:

ङ) कारोबार का प्रकार
च) खाद्य की श्रेणी, जिसमें कार्य किया जा रहा है (खाद्य श्रेणी प्रणाली के अनुसार)
छ) एफएलआरएस (17 - अंक) द्वारा सृजित आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)
ज) सामान्य घोषणा और वचन :

1. मैं, एतद्दवारा, यह वचन देता हूं कि मैं अपने प्रचालन कार्यों में स्वच्छता संबंधी सभी अपेक्षाओं को बनाए रखूंगा, जिसमें कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सावधानियां भी शामिल हैं। मैं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन करूंगा। मैं केवल उसी खाद्य का प्रहस्तन करुंगा जो एफएसएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनुमत हो।

Scanned with CamScanner

2. मैं, एतदद्वारा, यह घोषणा करता हूं कि मुझे लॉकडाउन में प्रचालन कार्य करने के लिए अपेक्षित अनुमति प्राप्त है और मेरे कार्यों का संचालन प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुसार आवश्यक वस्तुओं और आपूर्ति करने के कार्य तक ही सीमित होगा।
3. मैं उक्त परिसरों पर एफएसएस अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन के उत्तरदायी होऊंगा।
4. मैं उक्त परिसरों में एफएसएसएआई के वैध लाइसेंस अथवा पंजीकरण के बिना किसी भी प्रकार के खाद्य उत्पादों के विनिर्माण का कार्य नहीं करुंगा।
5. मैं यह जानता हूँ कि उक्त अनुमति केवल लॉकडाउन की अवधि के लिए है। मैं, यदि मेरे पास एफएसएसएआई का वैध लाइसेंस/पंजीकरण, जो भी लागू हो, न हो तो मैं लॉकडाउन के समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर खाद्य से संबंधित परिसरों में अपनी गतिविधियां बंद कर दूँगा।
6. मैं यह जानता हूँ कि जिस अनुमति का लाभ उठाया जा रहा है वह किसी भी रुप में लॉकडाउन में कार्यों का संचालन करने के लिए किसी प्रस्ताव की अनुमति नहीं है। यदि ऐसा प्रतीत हो कि मैंने कोई चूक की है तो मैं लॉकडाउन संबंधी निर्देशों के उल्लंघन का दोषी माना जाऊंगा। यह अनुमति किसी भी अन्य सरकारी अभिकरण/विभाग अथवा कार्य-संचालनों के लिए या अपेक्षित कानून द्वारा किसी अन्य अपेक्षाओं से छूट/अनुपालन के रुप में नहीं समझा जाएगा।

दिनांक:

स्थान:

(हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर))

नाम :

पता :

ई-मेल :

मोबाइल :

Scanned with CamScanner